



## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या.....885/2012 अलवर.....  
 .....

उनवान : नीमराना होटल्स प्रा.लि.,ए-56 निजामुद्दीन ईस्ट नई दिल्ली जरिये श्री रामबिहारी कौशिक पुत्र श्रीराम कोशिक निवासी ग्राम शिवपुरी पोस्ट हाजीपुर तहसील बानसूर जिला अलवर बनाम राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक तिजारा अलवर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.01.2015	<p><u>खण्डपीठ कैम्प, जयपुर</u></p> <p>श्री सुनील शर्मा, सदस्य श्री मदनलाल, सदस्य</p> <p>प्रार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री विवेक सिंघल व विभाग की ओर से उपराजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह उपस्थित।</p> <p>वकील निगरानीकर्ता ने कथन किया कि प्रार्थी राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.2(6)वित्त/कर/2014-143 दिनांक 16.12.2014 का लाभ लेने हेतु निगरानी विद्वा करना चाहते हैं। विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्रकट नहीं की है अतः निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी विद्वा करने के फलस्वरूप प्रस्तुत निगरानी "सारहीन" होने के कारण खारिज की जाती है।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">               13.1.2015              (मदनलाल)              सदस्य         </div> <div style="text-align: center;">               (सुनील शर्मा)              सदस्य         </div> </div>	